



दिनांक: 25.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मुकदमें में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 18.09.2024 को वादी की तहरीरी सूचना बावत अभियुक्तगण 1. नौमान पुत्र कौशर व 2. मुज्जकिर पुत्र तेज अली निवासी गण ग्राम बुढनपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिग बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने की सूचना के आधार पर थाना नकुड पर मु0अ0सं0 324/24 धारा 70(2) बीएनएस व 5/6 पोक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड श्री धर्मेन्द्र कुमार गौतम के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण 1. मुज्जकिर उर्फ काला पुत्र तेज अली निवासी ग्राम बुढनपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर को दिनांक 24.09.2024 में तथा 2. नौमान उर्फ गुल्लु पुत्र कौशर निवासी ग्राम बुढनपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर को दिनांक 25.09.2024 को गिरफ्तार किया। अभि0 के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. नौमान पुत्र कौशर निवास ग्राम बुढनपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. मुज्जकिर पुत्र तेज अली निवास ग्राम बुढनपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
2. निरीक्षक श्री सिराजुद्दीन थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 1122 प्रवीण कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
4. का0 497 गौरव थाना नकुड जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक:-25.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त काका पुत्र पूरन चन्द्र निवासी मौ० हरिजनान कस्बा व थाना सरसावा सहारनपुर सम्बन्धित वाद स० 3046/2024 धारा 63 आबकारी अधि० चालानी थाना सरसावा नियत तिथि 07.11.2024 में कस्बा सरसावा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

काका पुत्र पूरन चन्द्र निवासी मौ० हरिजनान कस्बा व थाना सरसावा सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ०नि० श्री रामबीर सिंह सिंह सिंह थाना सरसावा सहारनपुर
2. का० 2551 विक्रम थाना सरसावा सहारनपुर



दिनांक: 25.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त अमरनाथ पुत्र रामसिह निवासी ग्राम सबदलपुर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं0-818/2024 मु0अ0सं0 243/1996 धारा 379/411 भादवि चालानी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर को अभियुक्त के मस्कन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अमरनाथ पुत्र रामसिह निवासी ग्राम सबदलपुर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
2. है0का0 394 राजकुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 25.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से

141 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व नशा तस्कारी की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त कादिर पुत्र नादिर नि0 वर्धमान कालोनी थाना को0देहात जनपद सहारनपुर** को 141 ग्राम अवैध चरस सहित चिलकाना रोड की तरफ जाने वाले रजवाहे की पटरी से गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 404/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम कादिर उपरोक्त के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

कादिर पुत्र नादिर नि0 वर्धमान कालोनी थाना को0देहात जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 141 ग्राम अवैध चरस

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 208/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 598/2018 धारा 60 आवकारी एक्ट चालानी थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 498/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 श्री चन्द्रसैन सैनी सिंह को0देहात सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सुनील यादव को0देहात सहारनपुर
3. है0का0 241 कपिल तोमर को0देहात सहारनपुर
4. है0का0 1035 सचिन कुमार को0देहात सहारनपुर
5. का0 2251 जितेन्द्र कुमार को0देहात सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 25.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 15000/- रुपये के पुरस्कार घोषित वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी/पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा 15000/- रुपये के पुरस्कार घोषित वारंटी अभियुक्त **खालिद पुत्र सलीम निवासी रहमानी चौक थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं० 384/17 व मु०अ०सं० 153/2011 धारा 363/366 भादवि चालानी थाना कुतुबशेर सहारनपुर (माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम सहारनपुर) को मिग्लानी बिल्डिंग के सामने से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार पुरस्कार घोषित अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता:-

खालिद पुत्र सलीम निवासी रहमानी चौक थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर उम्र 34 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ०नि० श्री असगर अली थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है०का० 960 सचिन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का० 1808 आशीष कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक - 25.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अंतर्गत, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र नागर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 24.09.2024 को थाना पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अभियुक्त रियाज पुत्र नूर हसन नि0 ग्राम खुब्बन पुर थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार को सम्भालकी शेख अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल स्पलेन्डर प्लस (रंग काला) व 01 फर्जी नंबर प्लेट बरामद। गिरफ्तारी व बरामदी के आधार पर अभियुक्त रियाज उपरोक्त के विरुद्ध थाना जनकपुरी पर मु0अ0स0-246/2024 धारा-317(5)/318(4)/336(2)/338/340(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि मैं कम पढा लिखा हूँ तथा नशे का आदी हूँ यह मोटरसाइकिल मैंने रुडकी से चोरी की थी जिसे मैं आज बेचने की फिराक में घूम रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अभियुक्त रियाज पुत्र नूर हसन नि0 ग्राम खुब्बन पुर थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 मोटर साइकिल (स्पलेन्डर प्लस)
- 01 फर्जी नम्बर प्लेट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री शैलेन्द्र सिंह, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
2. है0का0 735 सूरज कुमार, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
3. का0 1675 गगन, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक 25.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा मन्दिर मे दानपेटी का चोरी करने वाले 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर **अभियुक्त विशाल पुत्र कवरपाल निवासी ग्राम घसौटी थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर** को रेलवे लाईन अन्डरपास सदर बाजार क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी गयी दान पेटी व दान पेटी से निकाले गये 1520/- रुपये बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 542/24 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त विशाल उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि आज मैंने दिन मे रेलवे लाईन पर मंदिर से दान पेटिका चोरी की थी जिसको तोडकर उसमें से कुल 1520/- रुपये निकाल लिये थे। जो मेरे पास से अभी मिले है। मैं इस दान पेटिका को कबाडी को बेचने के लिए जा रहा था कि पुलिस ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

विशाल पुत्र कवरपाल निवासी घसौटी थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त विशाल का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 117/24 धारा 363/366 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 542/24 धारा 305 बीएनएस थाना सदर बाजार सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण -

- 1520/- रुपये दान पेटिका से चोरी किये गये
- 01 दान पेटिका मन्दिर से चोरी गयी (टूटी हुई)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
2. है0का0 753 अमरपाल थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
3. का0 947 शान्तनु थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
4. का0 2329 अनिल थाना सदर बाजार सहारनपुर।



दिनांक: 25.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 06.08.2024 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त सुफियान पुत्र फरजन्द निवासी ग्राम खेडा मेवात थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को घर से बहला फुसलाकर ले जाने की सूचना के आधार पर थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 189/24 धारा-137(2) बीएनएस व 3 / 4 पाक्सो एक्ट में पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व महिला सम्बन्धी अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान **अभियुक्त सूफियान पुत्र फरजन्द निवासी ग्राम खेडामेवात थाना चिलकाना सहारनपुर** को सुल्तानपुर बाईपास पर फिरोजाबाद जाने वाले मोड के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सूफियान पुत्र फरजन्द निवासी ग्राम खेडामेवात थाना चिलकाना सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ0नि0 श्री आकाश कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।
2. का0 1759 सावन तोमर थाना चिलकाना सहारनपुर।
3. म0का0 1470 अन्जू थाना चिलकाना सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 25.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 एनबीडब्लू वारंटी अभियुक्तों किया गया
गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा वारण्टी/एनबीडब्लू अभियुक्त 1. पूरन पुत्र मामचन्द सैनी नि0 मौ0 पठानपुरा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं0-1052/11 धारा 420 भादवि चालानी थाना देवबन्द मा0 न्याया0 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवबन्द सहारनपुर द्वारा निर्गत एनबीडब्ल्यू में तथा अभियुक्त 2. हुसैन अहमद पुत्र शरीफ अहमद नि0 मौ0 पठानपुरा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं0- 431/03 धारा 324 भादवि मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवबन्द सहारनपुर द्वारा निर्गत एनबीडब्ल्यू में उनके मौ0 पठानपुरा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

पूरन पुत्र मामचन्द सैनी नि0 मौ0 पठानपुरा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
हुसैन अहमद पुत्र शरीफ अहमद नि0 मौ0 पठानपुरा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1- उ0नि0 श्री राजन पुण्डीर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
- 2- का0 2107 रवि राठी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 25.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 26.08.2024 को मुकदमा वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. सागर व 2. सेठन सिंह उर्फ राजवल पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम जडौदा जह्द थाना देवबन्द जिला सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने के की सूचना के आधार पर थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0- 470/2024 धारा 137(2) बी0एन0एस0 के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 24.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सागर पुत्र अनीस निवासी जडोदाजह्द थाना देवबन्द जिला सहारनपुर को बाला सुन्दरी माता मन्दिर रोड पर गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में धारा 87/64 बीएनएस व 3(2)5क एससी / एसटी एक्ट व व धारा ३/४ पोक्सो अधि0 की वृद्धि की गयी। अभियुक्त सागर उपरोक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सागर पुत्र अनीस निवासी जडोदाजह्द थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री संजय कुमार राणा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. का0 2287 मनोज कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 25.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 फर्जी महिला मुख्य आरक्षी गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व शांतिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 25.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 फर्जी महिला मुख्य आरक्षी **अभियुक्ता पूजा पत्नि शिवचरण निवासी मौहल्ला कायस्थवाडा कस्बा व थाना देवबन्द सहारनपुर** को राधा बल्लव मन्दिर तिराहे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के आधार पर थाना देवबन्द पर मु0अ0स0 544/24 धारा 205 बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्ता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्ता पूजा उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं पब्लिक में रौब जमाने के लिए पुलिस की वर्दी पहनती हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

पूजा पत्नि शिवचरण निवासी मौहल्ला कायस्थवाडा कस्बा व थाना देवबन्द सहारनपुर

बरामदगी –

- 01 खाकी पैन्ट
- 01 खाकी शर्ट
- 01 जोडी उ0प्र0पु0 बैज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1- व0उ0नि0 श्री अजय कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर
- 2- है0का0 1031 श्रीकान्त भाटी थाना देवबन्द सहारनपुर
- 3- का0 2016 राहुल थाना देवबन्द सहारनपुर
- 4- म0का0 276 अंशिका थाना देवबन्द सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 25.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा पशु चोरी के मुकदमों में वांछित 01 शातिर पशु
चोर/अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 27.03.2024 को वादी श्री जोगेन्द्र सिंह पुत्र श्री मलिकराम निवासी सुल्तानपुर थाना कोतवाली देहात सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा रात्रि में वादी के डेयरी फार्म से 02 गाय चोरी कर ले जाने की सूचना के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0स0 138/2024 धारा 380 भादवि के पंजीकृत किया गया एवं दिनांक 21.04.2024 को वादी मौ0 मूसब पुत्र मौ0 साजिद निवासी ग्राम बिजोपुरा थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर से 01 गाय चोरी कर ले जाने की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0स0 171/24 धारा 380 भा0द0वि0 के पंजीकृत किया गया था। जिसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर पूर्व में जेल भेज दिया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में पशु चोरी की घटनाओं की रोकथाम व पशु चोर/वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा मुकदमा में वांछित 01 पशु चोर/अभियुक्त इकराम पुत्र कासिम निवासी ग्राम बुढेडा थाना सरसावा जिला सहारनपुर को बेहट अडडे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

इकराम पुत्र कासिम निवासी ग्राम बुढेडा थाना सरसावा जिला सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सलमान:-

1. मु0अ0स0 138/24 धारा 380 भादवि थाना कोतवाली देहात सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 171/24 धारा 380 भादवि थाना कोतवाली देहात सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1- प्र0नि0 श्री चन्द्रसैन सैनी कोतवाली देहात, सहारनपुर।
- 2- उ0नि0 श्री अजयपाल सिंह कोतवाली देहात, सहारनपुर।
- 3- है0का0 207 दिनेश कुमार थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 25.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-03 सहारनपुर द्वारा गैर इरादतन हत्या के मामलें में अभियुक्त को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुनायी गयी

सजा -

अवगत कराना है, कि दिनांक 27.08.2014 को वादी श्री आजाद पुत्र अब्दुल रहमान निवासी हरिजन कालोनी गली नं०-7 छुटमलपुर जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त सतीश पुत्र रणवीर नि० शेखवाला तकीपुर थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के भाई शहजाद की लाठी व डण्डो से पीटकर जान से मार देने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु०अ०सं० 230/14 धारा 302 भादवि के पंजीकृत कराया गया । उपरोक्त अभियोग एसटी नं० 148/15 पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-03 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-03 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 25.09.2024 को अभियुक्त सतीश पुत्र रणवीर उपरोक्त को मु०अ०सं० 230/14 धारा 304 भादवि के दोषी पाते हुए 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

नोट- यह मुकदमा धारा 302 में पंजीकृत हुआ था ।

शासकीय अधिवक्ता (ए०डी०जी०सी०) श्री दीपक सैनी

विवेचक निरीक्षक श्री गुरुचरण सिंह

पैरोकार है०का० 378 बिजेन्द्र थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर